

न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन क्रमांक 226 / 18

पंकज शर्मा पुत्र रामख्तियार शर्मा उर्फ मुन्नालाल
शर्मा उर्फ रामऔतार शर्मा आयु 30 वर्ष निवासी
ग्राम सिरसौदा परगना गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.

—आवेदक

विरुद्ध

पुलिस थाना गोहद जिला भिण्ड

—अनावेदक

03-07-2018

आवेदक/अभियुक्त पंकज की ओर से एम.पी.एस. राणा अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

पुलिस थाना गोहद से अपराध क्रमांक 91/18 अंतर्गत धारा 323, 294, 506 व इजाफा धारा 307 भा0द0सं0 की केस डायरी मय कैफियत प्राप्त।

आवेदक की ओर से यह आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 का नियमित जमानत हेतु प्रस्तुत कर घोषित किया गया है कि यह आवेदक का नियमित जमानत हेतु प्रथम आवेदन पत्र है इसके अतिरिक्त कोई अन्य आवेदन किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत, लंबित या निराकृत नहीं किया गया, इस संबंध में एवं अधिवक्ता नियुक्ति के संबंध में मुकेश कुमार शर्मा पुत्र राजाराम शर्मा आयु 38 वर्ष निवासी ग्राम गिंगरखी थाना मेहगांव जिला भिण्ड, जो कि आवेदक का रिश्तेदार है, ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

आवेदक के जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 पर उभयपक्ष को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्त पंकज की ओर से निवेदन किया गया है कि पुलिस थाना गोहद ने आवेदक के विरुद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया है, जबकि आवेदक का अपराध से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। आवेदक निर्दोष है। आवेदक मजदूर पेशा व्यक्ति होकर परिवार का कर्ता-धर्ता है। आवेदक के विरुद्ध अभियोजित अपराध मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है। आवेदक दिनांक 04.05.18 से न्यायिक निरोध में है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की पूर्ण संभावना है। आवेदक के फरार होने व साक्ष्य को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक सभी शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर हैं। सह आरोपी पवन की जमानत इस न्यायालय द्वारा हो चुकी है। अतः समानता के आधार पर उसे जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अपराध को गंभीर स्वरूप का होना बताते हुये जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदन पर विचार करते हुये न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कैफियत सहित संपूर्ण केस डायरी का अवलोकन किया गया, जिससे दर्शित है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुसार दिनांक 20.04.18 को रात्रि करीब 12:30 बजे फरियादी पवन, महावीर श्रीवास के काम पर खाना बनाने के लिये ग्राम सिरसौदा के अभियुक्त पंकज शर्मा के यहां गया था और खाना तैयार करने के बाद पूड़ी बना रहा था, तभी खाना में बनी सब्जी मटर-पनीर को परोसने के लिये ले जाने के लिये पंकज शर्मा आया और बोला कि उसने सब्जी खराब कर दी है तो उसने कहा कि आपने सब्जी दिन में बनवाई थी, जिसमें लहसुन व प्याज डला होने के कारण खराब हो गई तो पंकज शर्मा व उनका रिश्तेदार बड़ा घर का एवं दो अन्य लोग उसे मां-बहन की गालियां देने लगे।

फरियादी द्वारा गालियां देने से मना किया तो पंकज शर्मा ने उसे डंडा मारा जो पीठ में लगा मुंदी चोट आई। फरियादी का साथी भूरे उसे बचाने आया तो पंकज शर्मा के रिश्तेदार बड़ाघर वाले ने डंडा मारा जो उसके बायें पैर के घुटने के पास लगा। दूसरा डंडा मारा जो पीठ में लगा मुंदी चोट आई। पंकज शर्मा के अज्ञात रिश्तेदार ने मिलकर उनकी लात व तूखों से मारपीट की जिससे उन लोगों के शरीर में जगह-जगह मुंदी चोट आई एवं पंकज शर्मा ने धक्का दिया तो फरियादी पवन तेल की कड़ाई में गिर पड़ा, जिससे उसके दोनों हाथों की कलाई में फफोले पड़ गये, तभी संतोष परिहार व कमलेश श्रीवास ने बचाया व घटना देखी एवं अभियुक्तगण ने जान से खत्म कर देने की भी धमकी दी थी।

उक्त घटना के संबंध में फरियादी पवन द्वारा उपरोक्तानुसार की गई रिपोर्ट पर से आरक्षी केंद्र गोहद में अप0क्र0 91/18 पर अभियुक्त पंकज व उसका रिश्तेदार बड़ाघर का एवं दो अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 323, 294 व 506, 34 भा0दं0वि0 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर दौराने विवेचना मामले में धारा 307 भा0दं0सं0 का इजाफा किया गया है। आवेदक/अभियुक्त पंकज को मजदूर पेशा परिवार का कर्ता-धर्ता होना बताते हुये उसे दिनांक 04.05.18 से निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में होना बताया गया है। केस डायरी के साथ संलग्न मेडीकल रिपोर्टों के अवलोकन से आहतगण को कारित चोटें प्राणघातक स्वरूप की होना दर्शित नहीं होती हैं, बल्कि मेडीकल विशेषज्ञ द्वारा साधारण स्वरूप की होना बताई गई हैं और आहत पवन के मेडीकल रिपोर्ट में उसे सुपर फीसियल 5 प्रतिशत वर्न होना लेख करते हुये जलने संबंधी चोट को साधारण स्वरूप का होना बताया गया है और केस डायरी के अवलोकन से ऐसा भी दर्शित नहीं होता

है कि आहतगण कारित चोटों के परिणामस्वरूप वर्तमान तक निरंतर उपचाररत हैं। केस डायरी के अवलोकन से प्रश्नगत घटना पूर्ववती रंजिश का परिणाम होना भी दर्शित नहीं होती है, बल्कि मटर-पनीर की सब्जी खराब हो जाने पर से हुये अचानक वाद-विवाद पर से प्रश्नगत घटना घटित हुई है। आवेदक पंकज दिनांक 04.05.18 से निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में है तथा प्रकरण के निराकरण में विलंब की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है तथा विचारण के पूर्व आवेदक को दोषी मानते हुये अभिरक्षा में अधिक समय तक रखा जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। साथ ही सहअभियुक्त पवन की नियमित जमानत इस न्यायालय के द्वारा पूर्व में ही हो चुकी है।

अतः उपरोक्तानुसार मामले की संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक/अभियुक्त पंकज की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दंडप्रसंगी स्वीकार योग्य पाये जाने आदेशित किया जाता है कि आवेदक/अभियुक्त पंकज की ओर से संबंधित कमिटल न्यायालय की संतुष्टि योग्य 50000/- रुपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का बंधपत्र निम्न शर्तों सहित पेश होने पर उसे जमानत पर छोड़ा जावे।

शर्तें—

1. अभियुक्त नियमित रूप से उपस्थित होता रहेगा।
2. अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा।
3. अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।
4. अनुसंधान एवं विचारण में सहयोग करेगा।

आदेश की प्रति कमिटल न्यायालय की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ भेजी जावे।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी संबंधित थाने को विधिवत बापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(सतीश कुमार गुप्ता)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद